Skill Development Programme
For Answer Writing
Current Affairs
Model Answer

DATE : 29-July-2018 **TIME : 03:15 pm**

मुख्य परीक्षा

प्र. हाल ही में भारतीय खाद्य-सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में संशोधन की सिफारिश की गई है। इस संदर्भ में भारतीय खाद्य-सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में बताइये। क्या आपको लगता है कि संशोधित भारतीय खाद्य-सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य पदार्थों में मिलावट समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध होगा? न्याय संगत उत्तर दीजिए। **(250 शब्द, 15 अंक)**

Recently recommendation has been made for changes in Food Safety and Standard Authority of India. In this context, describe about Food Safety and Standard Authority of India. Do you think that amended Food Safety and Standard Authority of India will be effective in dealing with the problem of food adulteration? Give logical answer. (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भूमिका- मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्थापित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के भण्डारण, विनिर्माण वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है।

यद्यपि कि यह सिफारिश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है, जो कि सिंगापुर के सेल्स ऑफ फूड एक्ट की तर्ज पर बनाया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संशोधित प्रावधानों से प्रतीत होता है कि यह मिलावट की समस्या के समाधान में बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि-

- इसमें सिफारिश की गई है कि यदि कोई व्यक्ति मिलावट करता है, तो उसे उम्रकैद की सजा के साथ ही 10 लाख रूपए तक का दण्ड का प्रावधान है, जिससे मिलावट करने वाले में डर उत्पन्न होगा और वह खाद्य पदार्थों के साथ ही अन्य खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने से बचेंगे।
- यह भी सिफारिश की गई है कि यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य करने से रोकता है, उसे धमकाता है या उस पर हमला करता है, तो ऐसे मामलें में सजा को बढ़ाकर कम से कम छह माह और अधिकतर दो साल की सजा और 5 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुक्त रूप से कार्य कर सकता है।
- इस संशोधन में यह भी सिफारिश किया गया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण गठित करना है, जिससे कि इसे सम्पूर्णता में लागू किया जा सके।
- साथ ही संसद में लम्बित उपभोक्ता संरक्षण बिल में भी मिलावट खोरों को कड़ी सजा का प्रावधान का प्रस्ताव है।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को और प्रभावी बनाने के लिए आम नागरिकों से भी सुझाव माँगा गया है, जिससे यह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके।
- फूड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए अब खाद्य वस्तुओं की जाँच करने वाली प्रयोगशालाओं को पाँच दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी और यदि खाद्य या पेय पदार्थों के किसी केमिकल या उसमें जीवाणुओं की जाँच करनी है तो अधिकतम 10 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इससे मिलावट से संबंधित मामले जल्दी सामने आ सकेंगे, जिससे समय पर कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इन सिफारिशों को नियम बनाया जाए और क्रियान्वयन सही से हो तो निश्चित रूप से खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

* * *